# डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

# द्वारा

# स्थापित समता सैनिक दल का

# संविधान

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
द्वारा स्थापित
समता सैनिक दल का

# संविधान

द्वितीय आवृति
दिनांक : १४ ऑक्टोबर २०१६
(धम्मचक्र प्रवर्तन दिन)

प्रकाशक :
समता सैनिक दल
HQ. : दिक्षाभुमी, नागपुर
संपर्क : 9823050476, 9423115649, 9860019717

E-mail : support@ssdindia.org
Website : www.ssdindia.org

मुफ्त वितरण हेतु

Freedom of mind is the real freedom. A person whose mind is not free though he may not be in chains, is a slave, not a free man. One whose mind is not free, though he may not be in prison, is a prisoner and not a free man. One whose mind is not free though alive, is no better than dead. Freedom of mind is the proof of one's existence.

Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realise that our people have yet to learn it. Democracy in India is only a top dressing on an Indian soil which is essentially undemocratic.

Majorities are of two sorts: (1) communal majority and (2) political major ity. A political majority is changeable in its class composition. A political majority grows. A communal majority is born. The admission to a political majority is open. The door to a communal majority is closed. The politics of political majority are free to all to make and unmake. The politics of communal majority are made by its own members born in it.

There is no nation of Indians in the real sense of the world, it is yet to be created. In believing we are a nation, we are cherishing a great delusion. How can people divided into thousand of castes be a nation? The sooner we realise that we are not yet a nation, in a social and psychological sense of the world, the better for us.

My definition of democracy is - A form and a method of Government whereby revolutionary changes in the social life are brought about without bloodshed. That is the real test. It is perhaps the severest test. But when you are judging the quality of the material you must put it to the severest test.

Democracy is not merely a form of Government. It is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards our fellow men.

“In India, ‘Bhakti’ or what may be called the path of devotion or hero-worship plays a part in politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other of the world. ‘Bhakti’ in religion may be a road to salvation of the soul. But in politics, ‘Bhakti’ or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship.”

“Equality may be a fiction but nonetheless one must accept it as a govern ing principle.”

“We are Indians, firstly and lastly.”

दुसरे व्यक्ती के जीवन पर निर्भर होकर समाज परिवर्तन के सपने ना देखे, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ती  समाज परिवर्तन नही कर सकता । समाज परिवर्तन के कार्य में सभी ने सहभागी होना चाहिये ।

जिन्हे अपना इतिहास पता नही होता वे कभी अपना इतिहास नही बना सकते।

जीवन का महान होना जीवन के लंबा होने से बेहतर है ।

समता  सैनिक दल का सैनिक याने समाज सेवा के लिये सदैव तत्पर रहनेवाला निडर योध्दा ही कहना चाहिये।

मेरे मृत्युपरांत समाज का कुछ वर्ग मुझसे बेईमानी करेगा लेकिन, कुछ सुशिक्षित नौजवान मेरे आंदोलन को समझेंगे, उनकी क्षमता होते हुये भी उन्होंने अगर अपने समाज के अशिक्षित लोगों को सही दिशा दिखाकर समाज प्रबोधन नही किया तो उनकी पढाई व्यर्थ होगी और ऐसा नौजवान अगर मेरे समाज में रहता है तो मेरी तरह अभागी दूसरा कोई नहीं होगा ।

राजनीती की बागडोर शिक्षा के बगैर अपने हाथों में नही आयेंगी ।

तुम्हारे मत (vote) की कीमत नमक-मिर्च के बराबर मत समझना, उसके ताकत का अंदाजा जिस दिन तुम्हे पता चल जायेगा तब आपके उस मत को खरीदने की चाहत रखनेवाले जैसा निर्धन और कोई नही होंगा ।

राजनीती में शिक्षा जरुरी है पर शिक्षाओं में नैतिक सद्गुणों की आवश्यकता अधिक है.

Educate, Agitate & Organize

**शिक्षित करो, आंदोलीत करो और संघटित करो.**

(२० जुलाई १९२४)

**(SCF इस राजनैतिक पक्ष को बरखास्त करणे पुर्व SSD का ध्वज)**

# समता सैनिक दल

www.ssdindia.org

**(SCF इस राजनैतिक पक्ष को बरखास्त करके नया राजनीतिक पक्ष RPI दिये जाने के बाद  SSD का ध्वज)**

संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो पर उसे अमल में लानेवाले लोग अगर बुरे हैं तो निश्चित हि वह संविधान बुरा साबित होंगा । तथापि संविधान अगर बुरा भी हो पर उसे अमल में लानेवाले लोग अगर सहि है तो वह अच्छा साबित होंगा ।

अगर संविधान का दुरुपयोग होते हुये मुझे दिखाई देता है तो उसे जलानेवाला मैं प्रथम व्यक्ति रहुँगा ।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

बुरे वक्त में भी सर्वोत्तम कर दिखाने की क्षमता होना यही एक नेता की परख ह।

संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो पर उसे अमल में लानेवाले लोग अगर बुरे है तो निश्चित ही वह संविधान बुरा साबित होगा. तथापि संविधान अगर बुरा भी हो पर उसे अमल में लानेवाले लोग अगर सही है तो वह अच्छा साबित होगा ।

अगर संविधान का दुरुपयोग होते हुये मुझे दिखाई देता है, तो उसे जलानेवाला मै प्रथम व्यक्ति रहुँगा ।

“मेरा रिपब्लिकन पार्टी इंडिया यह नया राजनीतिक पक्ष निकालने का मानस है । भारत का संविधान सही मायने में लागू करने के लिये यह पा निकाला जायेगा जिसका मुख्य ध्येय समानता स्वतंत्रता एवं बंधुता यह रहनेवाला है ।”

अनुशासन, संघठन, और बलिदान यही अभिवृत्ति बनाये रखना।

संघठना की ताकत यह केवल उसके सदस्योंकी संख्यापर निर्भर ना रहते हुये सदस्योंकी प्रामाणिकता, संघठना के प्रति एकनिष्ठता एवं अनुशासनात्मकता पर निर्भर करती है।

हमारे प्रयास चाहे सफल हो या असफल हो, कार्य की प्रशंसा हो या ना हो, कर्तव्य तो निभाना ही चाहिये । जब व्यक्ति की योग्यता एवं उद्देश की प्रामाणिकता साबित होती है तब उसके दुश्मन भी उसका सम्मान करने लगते है ।

परिवर्तन के आंदोलन में काम करने के लिये डरनेवाले लोग जीते जी मृतवत होते है जब की आंदोलन में काम करनेवाले लोग मरने के बाद भी सदा जीवित रहते है।

# समता सैनिक दल

## संविधान

### सैनिक की प्रतिज्ञा

मैं, भारतिय समाज का सदस्य समता सैनिक दल की फौज मे प्रवेश करते समय यह प्रतिज्ञा करता हूँ एवं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूँ कि हमारे समाज को सभी प्रकार के दमन, शोषण एवं दास्यता से मुक्ती दिलाने वाली गौरवशाली लडाई में मै एक आदरणीय, शूर, अनुशासनबध्द व अटल लडाकू के रुप में कार्य करूँगा ।

हमारे समाज के न्याय व मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए होने वाले संघर्ष मे स.सै.द. के आदेशानुरुप मैं सदैव तत्पर रहूँगा ।

दुर्बलता, भय अथवा किसी बुरे उद्देश्य के अधीन जाकर अगर मेरे द्वारा उपरोक्त प्रतिज्ञा भंग होती है एवं हमारे समाज के हितसंबंधो से अगर मैं किसी भी प्रकार का विश्वासघात करता हूँ, तो उसके परिणाम स्वरुप दल जो भी दंड देगा उसे भुगतने के लिये मै तैयार हूँ ।

कलम-१ नाम व संस्था (संघटन) :

अ) इस संस्था का नाम 'समता सैनिक दल' रहेगा व आगे चलकर यह (SSD) (स.सै.द.) के नाम से पहचाना जाएगा ।

ब) समता सैनिक दल यह रिपब्लिकन पाटी ऑफ इंडिया (Successor of SCF) से संलग्न रहेगा। पार्टी (RPI) के कार्यकारी समिती की सलाहनुसार पार्टी के अध्यक्ष ये समता सैनिक दल की कार्यप्रणाली की देखरेख करने के लिए प्रत्येक शहर व राज्य में एक प्रतिनिधी नियुक्त करेंगे व इस पध्दतीनुसार नियुक्त हुए पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में प्रत्येक शहर व राज्य के समता सैनिक दल कार्य करेंगे ।



कलम-२ लक्ष्य एंव उद्देश्य :

अ. वंश, धर्म, जाति, लिंग एवं वर्ण इन पर आधारित सभी प्रकार की विषमताएँ नष्ट करने के लिए संघर्ष करना व समता स्वतंत्रता इस तत्व पर आधारित समाज की रचना करन हेतु भारत के सभी व्यक्तियों को एकत्रित करना यह समता सैनिक दल का लक्ष्य (ध्येय) है ।

ब. उपर दिये गये उद्देश्य प्राप्त हेतु :-

१) भारतिय समाज के युवकों को समता सैनिक दल उनके ध्वज के नीचे एकत्र करके उन्हे संघठित करेगा ।

२) समता सैनिक दल यह भारतीय समाज मे सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों (उपक्रमों) को प्रोत्साहन देगा परिणामस्वरुप युवको में सेवाभिमान, स्वावलंबन, आत्मसमर्पण की भावना उनके व्यक्तित्व मे प्रतिबिंबित होगी ।

३) समता सैनिक दल ऐसी सभी संघटनाओं व आंदोलनों सें सहकार्य करेगा व उनके लक्षएवं उद्देश्य आगे सफल होने में मदत करेगा ।

कलम-३ सदस्यता :

समता सैनिक दल के उपरोक्त लक्ष एवं उद्देश्य से सहमत रहने वाले भारतिय समाज का कम से कम १८ वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति प्रतिवर्ष १० रु. शुल्क भरके समता सैनिक दल का सदस्य बन सकता है ।

कलम -४ प्रशिक्षण (शिक्षा):

१) समता सैनिक दल का प्रशिक्षण यह शारीरिक, बौध्दिक एवं सैनिकीय पध्दती का होगा।

२) समता सैनिक दल यह प्रशिक्षण सत्र, व्याख्यान, वादविवाद-स्पर्धा, कक्षा इत्यादि का आयोजन करेगा । इसी प्रकार पाठशाला, सभा, ग्रंथालय (वाचनालय) आदि उनके द्वारा चलाये जाएँगे व इसी प्रकार के समाज-उपयोगि एवं इसीप्रकार सहाय्यकारी गतिविधियाँ (उपक्रम) समय-समय पर आयोजित करेगा ।

३) अखिल भारतीय समता सैनिक दल की शाखाएँ भारत के सभी राज्यो में कार्यरत रहेगी। उसी प्रकार जहाँ संभव है वहाँ भारत के सभी राज्यों एवं दलों की शाखाएँ निर्मित की जाएगी ।प्रत्यके राज्यस्तरीय परिषद यह उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिल्हा समिती की कार्यप्रणाली देखेगी एंव जिल्हा समिती उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरी एवं ग्रामीण समितीयों की कार्यप्रणाली देखेगी ।

४) शहरी या ग्राम क्षेत्रों में समता सैनिक दल की सर्वसाधारण कार्यकारिणी (पुरे सदस्य)उनके श्रेणीनुसार, शहरी व ग्रामीण समिती का निर्माण करेंगे जिसमे ५ सदस्य, १ अध्यक्ष व २ सचिव होंगे एवं उनमें से ही जिल्हा स्तरीय परिषद के लिए प्रतिनिधी का चुनाव करके निचे निर्देशित अनुसार भेजे जाएँगे ।

१ से २२ सदस्यों के लिए – १ प्रतिनिधी

२५ से ५० सदस्यों के लिए – २ प्रतिनिधी व उसी प्रकार आगे

५) जिल्हास्तरीय परिषद अपने में से एक जिल्हा समिती का चुनाव करेगा । जिसमे १० सदस्य, एक अध्यक्ष व दो सचिव होंगे । उसी प्रकार यही परिषद जिल्हा समिती के सदस्य तथा पदाधिकारियों में से उनके पदनुसार (पदानुसार) राज्यस्तरीय परिषद के लिए निम्नलिखित रुप से प्रतिनिधी का चुनाव करेगा । जिल्हास्तरीय परिषद के सदस्यों में से राज्यस्तरीय परिषद के लिए भेजे जाने वाले प्रतिनिधीयों का अनुपात ५:१ होगा ।

उसी प्रकार जिल्हास्तरीय परिषद में पाँच या पाँच से अधिक तथा दस अंक (संख्या) तक सदस्य रहे तो प्रांतिय परिषद के लिए २ प्रतिनिधी व उसी अनुपात में आगे प्रतिनिधी भेजे जाएँगे ।

६) राज्यस्तरिय परिषद उनके पदानुसार २० सदस्ययुक्त एक राज्यस्तरिय समिती का चुनाव करेगा । जिसमे १ अध्यक्ष व २ सचिव होंगे । यही परिषद अखिल भारतीय परिषद के लिए भी प्रतिनिधी का चुनाव करेगा । अखिल भारतीय परिषद के लिए भेजे जाने वाले प्रतिनिधीयों की संख्या एक राज्य के कुल सदस्य संख्या के ५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहेगी ।

७) समता सैनिक दल की अखिल भारतीय समिती की कार्यकारणी में १ अध्यक्ष, १उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ सहसचिव इनका चुनाव करेगा । इसी प्रकार इस



समिती मे अखिल भारतीय केंद्रीय समिती द्वारा प्रत्येक राज्य से चुना गया एक सदस्य होगा ।

८) अखिल भारतीय समता सैनिक दल से जुडी हुई सभी राज्यस्तरीय शाखा अखिल भारतीय समता सैनिक दल को रु. १०००/– वार्षिक संलग्नता शुल्क देंगे । उसी प्रकार कुल वार्षिक उत्पन्न का ५% (प्रतिशत) रकम अखिल भारतीय समता सैनिक दल को देगा।

९) समता सैनिक दल का अखिल भारतीय सम्मेलन प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा ।

कलम–५ रचना :

१ (अ) १२ सैनिक (एक विभाग)

१२ सैनिक का एक विभाग बनाया जाएगा । जिसमे से चुने गए दो सैनिकोंको क्रमश: प्रथम व द्वितीय गुट अधिकारी संबोधित किया जाएगा ।

२) (ब) २४ सैनिक (दो विभाग – एक प्लॅटून)

२ विभाग मिलाकर एक प्लॅटून बनाया जाएगा । प्लॅटून को नेतृत्व करने के लिए गुट अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया प्लॅटून अधिकारी संबोधित किया जाएगा ।

३) (क) ९६ सैनिक (चार प्लॅटून – एक दल)

चार प्लॅटून मिलाकर एक दल का निर्माण किया जाएगा । प्लॅटून के प्रमखों द्वारा दल का नेतृत्व करने हेतु चुने गए प्रमुख को दल का सेनापती संबोधित किया जाएगा।

४) (ड) ३८४ (चार दल सेनापती – एक बटालियन)

चार दल मिलाकर एक बटालियन को निर्माण किया जाएगा । बटालियन का नेतृत्व करने के लिए दल सेनापती द्वारा चुने गए प्रमुख को संबोधित किया जाउगा।

५) (इ) ११५२ सैनिक (तीन बटालियन – एक रेजिमेंट)

तीन बटालियन मिलाकर एक रेजिमेंट बनाया जाएगा । लेफ्टनंट द्वारा रेजिमेंट का नेतृत्व करने के लिए चुने गये प्रमुख को जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जी.ओ.सी.) संबोधित किया जाएगा ।

६) (फ) २५०० सैनिक (हर जिल्हे एवं राज्य के सभी जी.ओ.सी. मिलाकर एक विभाग बनाया जाएगा । विभाग का नेतृत्व करने हेतु चुने गए प्रमुख को अखिल भारतीय कमांडर इन चीफ (सरसेनापती) संबोधित किया जाएगा ।)

कलम-६ दल सभा :

गणपुर्ती (गण संख्या) :-

१. समता सैनिक दल की हर ६ महिने मे कम से कम एक बार सभा आयोजित की जायेगी व यह दल समय-समय पर आवश्यकतानुसार इस घटना से संबंधित नियम बनाएगा।
२. अर्धवार्षिक सभा की तारीखे अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी । उसी प्रकार जब वे योग्य समझे उस समय एवं एक तिहाई (१/३) सभासद के लिखित निवेदन, इस तरह का निवेदन जब प्राप्त होता है तब से लेकर बीस दिन के अंदर विशेष सभा आयोजित की जाएगी ।
३. अर्धवार्षिक सभा की सूचना कम से कम पंद्रह दिन पूर्व एवं विशेष सभा की सूचना कमसे कम दस दिन पूर्व सभासदों को सूचित करना आवश्यक है । इस तरह की सूचना में सभा का समय व स्थान एवं संबंधित सभा में होने वाले कार्य इनका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।
४. सभा का कामकाज सुचारु रुप से चलने के लिए शुरुवात से लेके अंत तक एक तिहाई (१/३) सदस्यों कि संख्या निश्चित तौर पर होनी चाहिये. अगर सभा में एक तिहाई (१/३) से कम सदस्य उपस्थित होते है तो सभा के अध्यक्ष उन्हे जो उचित लगेगा उस समय तक या निश्चित कुछ दिनों तक सभा स्थगित कर सकते है। ऐसे स्थगित किये गये सभा के विषय अगले सभा के समक्ष सर्व प्रथम विचाराधिन प्रस्तुत किये जायेगे और ऐसे समय गणपुर्ती (सदस्य संख्या) कि आवश्यकता नही रहेगी ।
५. समता सैनिक दल के शाखाओं के अध्यक्ष व प्रत्येक सभा के अध्यक्ष के स्थान पर होंगे या वे अनुपस्थित रहे ता उपाध्यक्ष सभा के अध्यक्ष के स्थान पर रहेंगे । अगर



उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहे उस समय उपस्थित सदस्यों द्वारा अल्पावधीतक अध्यक्ष के रुप मे चुना गया कोई भी सदस्य सभा के अध्यक्ष के स्थान पर होगा । सभा के समक्ष सभी मुद्दो व प्रश्नों पर बहुसंख्या सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अल्पावधि नियुक्त अध्यक्ष इनके बहुमतानुसार निर्णय लिये जाएँगे । अगर किसी मुद्दे पर समान मत पाये गये तो उस समय निर्णायक मत की भी व्यवस्था होगी।

कलम -७ दैनिक कर्तव्य :

| | | |
|---|---|---|
| सोमवार | - | नैतिक शिक्षा (Moral) |
| मंगलवार | - | खेल व शारीरिक शिक्षा (Games & Physical Drill) |
| बुधवार | - | सैनिकी प्रशिक्षण (Military Drill) |
| गुरुवार | - | खेल व शारीरिक शिक्षा |
| शुक्रवार | - | प्रथमोपचार (First Aid) |
| शनिवार | - | सैनिकी प्रशिक्षण |
| रविवार | - | राजनीतिक व सामाजिक शिक्षा (Political & Social) |

कलम-८ अनुशासन :

अगर संघ का कोई सैनिक या अधिकारी धुम्रपान, मद्यपान, कानुनी आदेशो का उल्लंघन या इस तरह की कोई भी गलती करते हुए यदि वरिष्ठ अधिकारी को ज्ञात हुआ तो वह उसे एक बार चेतवानी देगा ताकि वह पुन: वही गलती न दोहराए । परंतु चेतावनी देने के पश्चात भी उसके व्यवहार मे कोई परिवर्तन नही दिखाई दिया तो उसे गणवेश व पद से निलंबित (हटा दिया) किया जाएगा व संघ से निकाल दिया जाएगा ।

कलम-९ गणवेश

संघ के सैनिक व अधिकारियों ने गणवेश संबंधित निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए -

| | | |
|---|---|---|
| सैनिक | – | खाकी हाफ पँट |
| | – | खाकी हाफ शर्ट |
| | – | मुडी हुई टोपी |
| | – | भूरे रंग के कॅनव्हास जूते या पठानी मोजे (जुर्राबे व चप्पल) |
| | – | एक लाठी (४.५ फुट लंबी) |
| गैर–अधिकारी | – | खाकी हाफ पँट |
| | | खाकी हाफ शर्ट |
| | | भूरे रंग के जूते |
| | | खाकी ऊन के मोजे |
| | | खाकी टोपी |
| | | एक लाठी, एक सीटी और खाकी रंग का कपडे का पट्टा |
| अधिकारी / वरिष्ठ | – | उपरोक्तनुसारही गणवेश होगा बुश कोट के साथ |

कलम–१० दल का कोष :

१) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया पर्यवेक्षक (सुपरवायझर) और समता सैनिक दल का सेनापती (G.O.C.) इनके अनुमती से दल का कुलनिधी बैंक में जमा किया जायेगा तथा जी.ओ.सी. एवं. संघ (S.S.D.) के महासचिव इनके द्वारा संबंधित आर्थिक व्यवहार किये जाएंगे ।

२) समता सैनिक दल की सभी शाखाएँ उनके राज्य के या जिल्हे के किसी भी बँक का चुनाव करेंगे व उस बँक मे समता सैनिक दल के नाम से कुल निधी जमा करेंगे एवं निधी का विनियोग सर्वसाधारण सभा द्वारा दिये गए अधिकारानुसार कोई भी तीन व्यक्ती करेंगे ।



कलम–११ ध्वज :

अखिल भारतीय समता सैनिक दल का ध्वज चार फुट लंबा व ढाई फूट चौडा रहेगा । ध्वज का रंग गहरा नीला रहेगा व उसके बायी ओर कोने मे ऊपर की तरफ सफेद रंग के ग्यारह नोकदार तारे रहेंगे । उसी प्रकार ध्वज के बिचोबिच (Center) मे सफेद रंग का सूर्य रहेगा । सूर्य की प्रतिमा में नीले रंग से बडे अक्षरों मे **R.P.I.** (S.C.F. के बरखास्त किये जाने के कारण) लिखा रहेगा । सूर्य की दायीं ओर नीचे कोने मे सफेद रंग से S.S.D. लिखा रहेगा ।

इस ध्वज द्वारा स्वतंत्रता, समता, बंधुता एवं (लक्ष्य) ध्येयपूर्ती के लिए संघर्ष करना यह अर्थ ध्वनित होगा ।

(उपर लिखित घटना S.C.F. को बरखास्त करके नया राजकिय पक्ष R.P.I. का स्थापित किये जाने का निर्णय लेने के उपरांत उसमें यथायोग्य परिवर्तन करके प्रस्तुत कि गई है।)

S.C.F. बरखास्त करने के पुर्व SSD की घटना का संदर्भ ।

(Ref. : Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speetches : Vol. 17, Part-3, page 566. इस संविधान को १९४४ में तैयार किया गया है।)

# दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया

## संविधान

दि बुध्दीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया का पंजिकरन डॉ. बी.आर. आम्बेडकर इन्होने रजिस्ट्रर ऑफ कंपनीज, मुंबई के कार्यालय में ४ मई १९५५ को किया इस संस्था का रजिस्टर्ड क्र. ३२२६/५५-५६ यह है । सोसायटी का संविधान निम्नलिखित प्रकारसे है ।

### लक्ष्य व उद्देश्य :

(१) भारत में बौध्द धम्म का प्रसार एवं प्रचार करना

(२) बौध्द धम्म की उपासना करने हेतु विहारो का निर्माण करना ।

(३) धार्मिक व वैज्ञानिक विषय के अध्ययन के लिये विद्यालय, महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।

(४) अनाथालय, अस्पताल एवं सहायता केंन्द्रोकी स्थापना करना ।

(५) बौध्द धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यकर्ता एवं उपासक उपदेशक प्रशिक्षित करने के लिये धम्म-शिक्षणशालाओं (सेमीनरीज) की स्थापना करना ।

(६) सभी धर्मो के तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रोसाहित करना।

(७) सामान्य जनो को बौध्द धम्म का सहि अर्थ बोध करने के लिऐ बौध्द साहित्य प्रकाशित करना और हस्तपत्र एवं लघुपत्र पुस्तिका प्रकाशित करना एवं उनका वितरण करना ।

(८) यदि आवश्यकता हो तो बौध्द धर्मोपदेशकों का नया संघ संस्थापित करना ।

(९) प्रकाशन कार्य चलाने के लिये मुद्रणालय या प्रेस की स्थापना करना ।

(१०) बौध्दो का सामान्य कार्यक्रम एवं भातृत्व की स्थापनार्थ धम्म सभा एवं सम्मेलनों का आयोजन करना ।

(संदर्भ : डॉ. बा.आं.लेखन व भाषणे : खंड १७, भाग ३, पृष्ठ ५६६. घटना का सारांश १९४४ में तयार किया गया.)



# रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया

## संविधान

तत्वप्रणाली

१) सभी भारतीय लोग कानुन के समक्ष **समान न्याय** तथा दर्जा के हकदार है, ऐसा पक्ष मानता है । इतना ही नही तो हर भारतीयका समानन्याय यह उसका जिवनमुल्य प्राप्त करना उसका अधिकार है, इसलिये जहाँ समता नही वहाँ उसे प्रस्थापित करने के लिये पक्ष सदैव प्रयत्नरत रहेंगा और जहाँ समता को नकारा जाता है, वहाँ समता प्रस्थापित करणे के लिये संघर्षरत रहेगा ।

२) हर भारतिय यह खुद ही खुद का साध्य है और उसका **व्यक्तिगत विकास** करने का उसको अधिकार है और हर नागरिक का उसके खुद के इच्छा नुसार विकास यही अंतिम उद्देश माना जागेगा । हर आदमी का सुख यह केंन्द्र बिंदु होने के कारण शासन संस्था यह व्यक्तिविकास के लिये केवल साधन है ऐसा पक्ष मानेगा ।

३) हर भारतीय का **धार्मीक, आर्थिक और राजकिय स्वतंत्रता**के अधिकार का पक्ष पुरस्कार करेगा । मात्र यह साध्य करते समय बाकी भारतीय के हक और शासनसंस्था के आवश्यक उतने अधिकारो का संरक्षण करने की आवश्यकता को पक्ष मान्य करेंगा ।

४) हर भारतीय को **समान अवसर** का अधिकार रहेगा, इस बात को पक्ष पुरस्कृत करेगा मात्र जिन्होने इसके पहले समान अवसर का लाभ उठाया है उनके पहले जिनको ऐसी समान संधी नकारी गयी उनको प्राधान्य देना चाहीये ऐसा पक्ष जुझारु रुपसे पुरस्कृत करेगा ।

५) हर भारतीय को उसके जीवन की **दास्यता, भुख और भय इससे मुक्ती**दिलाना यह राज्य का कर्तव्य है, इस बात का ऐहसास शासन संस्थाओं को पक्ष लगातार करवाते रहेंगा । इसकी अनुभुति शासन संस्था को पक्ष लगातार करना रहेगा ।

६) स्वतंत्रता समता और बंधुता बनाये रखने के लिये पक्ष आग्रह करते समय मनुष्य की मनुष्य की ओर से, वर्ग समुहों की वर्ग समुहो की ओर से, और राष्ट्र की राष्ट्र की ओर से, होनेवा**ले शोषण और दमन**से मुक्ती प्राप्त करने के लिये पक्ष लगातार संघर्ष करता रहेगा ।

७) **संसदिय लोकशाही** के मार्ग का पक्ष समर्थन करेंगा, क्योकी अन्य किसी भी राज्य पध्दती से संसदिय लोकशाही, व्यक्ति और समाज इन दोनो के कल्याण की दृष्टी से सर्वोत्तम राज्यपध्दती है ।

---

(टिप - दि बुध्दिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया यह संस्था **भारतीय बौध्द महासभा** इस नाम से ही जनमानस में प्रचलित है । हिंदी की यह घटना अंग्रेजी की मुल घटना का स्वैर अनुवाद है । इसलिए घटना के विषय में याउसके कोई भी हिस्से के अर्थ के विषय मे कोई भी संकोच उपस्थित हुआ तो मुल अंग्रेजी घटना ही सही समझनीचाहिये ।) संदर्भ : डॉ. बा.आं.लेखन व भाषणे : खंड १७, भाग २, पृष्ठ ४५५, १५६. आगे का बदलाव २१ ऑगस्ट १९५५, देखे : खंड १७, भाग १, पृष्ठ ४३५. घटनाका सारांश जाने.१९५५ मे और तत्वे ३ ऑक्टोबर १९५१ मे बाबासाहब ने लिखकर प्रकाशित कि है । (देखे- खंड १७, भाग १, पृष्ठ ३८६). शीर्षक व और कोई छोछेदलाव के लिये प्रस्तुत घटना ३ ऑक्टोबर १९५७ को घोषित कि हुई रिपाइं की है ।